स्वत्व वाद संख्या 344 / 2002
सीआईएस 156 / 2017
दिनांक 05.01.2024

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 05.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला हस्तक्षेपक विजय साह वल्द स्व0 बंती साह, माया देवी पति लक्षमण साह साकिन सोनबरसा, थाना–हरसिद्धि, जिला–पूर्वी चम्पारण की तरफ से दिनांक 16.08.2023 को आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 3 , धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में वादी बंती साह का निधन दिनांक 11.06.2023 को हो गया है और वे अपने एक लड़का और एक लड़की को छोड़कर मर गये हैं यह कि वादी बंती साह का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर हस्तक्षेपक विजय साह , माया देवी वो वादी के रूप में स्थापित करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण ने मामले में कोई जवाब नहीं दिया है ।

मामले में वादी के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है एवं परिसीमा अवधि के भीतर है चूंकि प्रतिवादीगण ने मामले में कोई जवाब नहीं दिया है । अतः प्रस्तुत आवेदन आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 3 , धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है और हस्तक्षेपक विजय साह, माया देवी को वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। एतद द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 3 , धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।